

जवाहर नवोदय विद्यालय –अनौगी, कन्नौज । (उ0प्र0)–209733

निविदा प्रपत्र निविदा अनुबन्ध हेतु नियम एवं शर्तें

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू-500.00

विक्रय तिथि.....

सन्दर्भ:-1-9/ज.न.वि.कन्नौज./2017-18/

दिनांक :.....

सेवा में,

.....
.....
.....

विषय : जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नौज हेतु 2017-18 सत्र के लिए..... सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा अनुबन्ध/आमंत्रण पत्र जो कि निविदा दर प्रपत्र के साथ फर्म स्वामी के हस्ताक्षर उपरान्त संलग्न किया जाना है(इस पूर्ण प्रपत्र की छाया प्रति फर्म को संस्मरण हेतु सुरक्षित रखनी है) ।

महोदय,

- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में नवोदय विद्यालय समिति लखनऊ संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी, जनपद, कन्नौज हेतु मुहरबन्द लिफाफे में प्रकाशन तिथि से बिक्री तिथि 24.06.2017 से बिक्री तिथि 27.06.17 (अपरान्ह 4.00 बजे तक) संलग्न सूची की वस्तुओं की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निर्धारित निविदा दर प्रपत्र पर साफ-साफ अंकित कर भरें एवं मदवार वांछित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि " प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नौज" के नाम देय हो संलग्न कर फर्मसील युक्त सीलबन्द मजबूत लिफाफे में प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी, कन्नौज, उ0प्र0-209733 के नाम से पंजीकृत डाक द्वारा अथवा विद्यालय में रखी गई निविदा पेटिका में भी दिनांक 27.06.2017 अपरान्ह 04:00 बजे तक पहुँचने पर स्वीकार की जायेगी। सील बंद उपयुक्त साईज के लिफाफे के ऊपर बाँयी ओर सुस्पष्ट शब्दों में " मद..... (जिस कार्य/आपूर्ति हेतु फर्म अपनी दरें प्रस्तुत कर रही है) हेतु निविदा सत्र 2017-18 " अंकित करना आवश्यक होगा ऐसा न किए जाने पर त्रुटि हो सकती है जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित फर्म का होगा । विद्यालय में पूर्ण-रूपेण भरी हुई निविदा पंजीकृत डाक के माध्यम से /विद्यालय में रखी गई निविदा पेटिका में डालने की अंतिम तिथि 27.06.2017 है तथा 28.06.2017 को पूर्वाह्न 11.0 बजे उपजिलाधिकारी, सदर, कन्नौज के कार्यालय में विद्यालय क्य परामर्श दायी उपसमिति की बैठक में खोला जाएगा, उक्त समय निविदादाता अथवा अधिकृत प्रतिनिधि का सामग्री के नमूनों के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य होगा ।
- निविदायें निविदा फार्म के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को निविदा में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित करने चाहिए साथ ही निविदा भरने वाली फर्म स्वामी को जानने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति/फर्म स्वामी के गवाह के रूप में हस्ताक्षर करा कर निविदा दर प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा तथा इस पत्र की छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखनी होगी ।
- निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे वैट/विक्री कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए तथा एफ.ओ.आर.(विद्यालय तक पहुँचाने का भाड़ा आदि) जवाहर नवोदय विद्यालय-अनौगी, कन्नौज होना चाहिए । विद्यालय द्वारा किसी भी दशा में वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- निविदा फार्म में अंकित वस्तु व फर्म द्वारा अंकित की जाने वाली दरों में कोई काट-छाट नही होनी चाहिए।यथा संभव दरे सुस्पष्ट अंकित की जाएँ। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से काट कर परिवर्तन पर हस्ताक्षर करने होंगे, परंतु निविदाएँ खुलने के उपरान्त किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
- विद्यालय क्य सलाहकार उप-समिति किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है एवं वह न्यूनतम दरें देने वाली निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। वह

फर्म स्वामी का हस्ताक्षर
तिथि

किसी भी निविदा को बिना उसका कारण बताये निरस्त कर सकता है। निविदा की स्वीकृत न्यूनतम दरें गुणवत्ता एवं मानकों तथा उपयोगिता को ध्यान में रख कर की जायेगी।

6. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा। (नियम एवं शर्तों संबंधी प्रपत्र को पूर्णतया भरकर निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा)।
7. जो फर्म विद्यालय वेबसाईट www.jvknauj.org से निविदा प्रपत्र मय नियम एवं शर्तों के डाउनलोड कर अपनी निविदा दरें प्रेषित करेंगी उन फर्मों को रू० 500/- निविदा शुल्क (प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी, कन्नौज के नाम देय) का ड्राफ्ट धरोहर राशि के अतिरिक्त अलग से बनवाकर निविदा के साथ संलग्न करना होगा यदि निविदा शुल्क का ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा तो निविदा को पूर्णतया निरस्त समझा जाएगा और उक्त फर्म की दरों पर कय सलाहकार समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा जिसका कि पूर्ण दायित्व फर्म का होगा।
8. निविदा के साथ मद अनुसार वांछित धरोहर राशि को बैंक ड्राफ्ट बनवाकर संलग्न करना होगा (चेक, बचत पत्र आदि एकदम मान्य नहीं होंगे ऐसा करने वाली फर्म की निविदा को कय प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा)। राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा निर्मित डिमान्ड ड्राफ्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी, कन्नौज के पक्ष में देय होना चाहिए। जिन निविदा कर्ता की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी। किसी भी दशा में धरोहर राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकारी संस्थाएं यदि निविदा हेतु आवेदन करना चाहती है तो उन्हें धरोहर राशि में छूट हेतु राजकीय शासनादेश की प्रति संलग्न करनी होगी जिस पर विद्यालय कय सलाहकार समिति की संतुष्टि होने पर ही धरोहर राशि से अवमुक्ति प्रदान की जाएगी।
9. जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकार हो जायेगी उनके द्वारा प्रस्तुत धरोहर राशि (Security Deposit) 30.04.2018 तक विद्यालय में जमा रहेगी। किसी भी निविदादाता द्वारा नियमानुसार आपूर्ति सुनिश्चित न किए जाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में फर्म द्वारा आपूर्ति/कार्य नियमानुसार संपन्न करने पर निर्धारित अवधि के उपरान्त धरोहर राशि चेक के माध्यम से फर्म को वापस कर दी जाएगी
10. निविदा दाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत गुणवत्ता एवं मानक अनुसार सुनिश्चित करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य स्रोत से पूर्ण कर लें तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदादाता द्वारा प्रस्तुत पूर्व के लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जाएगी कमी होने पर राजकीय राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
11. निविदा फार्म में जिन वस्तुओं के लिए नमूना मांगा गया है उनका नमूना निविदा के साथ अथवा निविदा खोलने के समय तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा नमूने के अभाव में निविदा दरों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जिसका पूर्ण दायित्व फर्म का होगा। जिस सामग्री(जैसे मषीन, सी.सी.टी.वी., किसी भी मद के ब्रान्डेड आइटम, आदि के नमूने, गुणवत्ता एवं मानको का प्रदर्शन कय सलाहकार समिति के निर्णय अनुसार किया जाना होगा जिससे संतुष्ट होने पर आपूर्ति/कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
12. वस्तुओं की आपूर्ति के उपरान्त प्राप्त सामग्री की स्वीकृत गुणवत्ता एवं मानक की जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत शिक्षकों की कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति हुई वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है अथवा निर्धारित निर्दिष्टकरण के अनुसार नहीं है तो आपूर्ति हुई सामग्री को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर वापस लेकर तत्काल बदला जायेगा, समयानुसार/आवश्यकतानुसार पुनः आपूर्ति सुनिश्चित न होने पर को निरस्त कर दिया जाएगा।
13. निविदा पत्र उन्ही फर्मों/कम्पनियों के स्वीकार किए जाएंगे जो उस वस्तु के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका व्यापार कर विभाग में पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हो। किसी भी जनरल आर्डर सप्लायर कमीषन एजेंट एवं मध्यस्थ को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। किसी भी फर्म के व्यापारिक प्रतिष्ठान का निरीक्षण फर्म के प्रपत्रों पर अंकित पते पर किया जा सकता है यदि किसी भी फर्म को संबंधित वस्तु का व्यापार करते हुए नहीं पाया गया या यह पाया गया कि फर्म विद्यालय में उत्तम

गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं होगी तो उस फर्म की निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा।

14. निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश/भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं कर सकता है।
 15. फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का ड्राफ्ट व्यय यदि कोई होता है तो वह फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
 16. विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार स्वीकृत हुई राशि का भुगतान किया जायेगा।
 17. अगर निविदा फर्नीचर आपूर्ति के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर धातु की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा आपूर्ति का वर्ष अंकित होगा।
 18. निविदा की दरें दिनांक 31.03.2018 तक मान्य होंगी परन्तु सब्जी एवं फल, खाद्यान्न सामग्री, स्टेसनरी एवं दैनिक उपयोगी वस्तुओं के लिए दिनांक 30.04.2018 तक मान्य होगी।
 19. निविदा दाता आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार स्कीम कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदा दाता उस उपहार को विद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेगा परन्तु उसकी कीमत शून्य होगी, कं० द्वारा ग्राहकों को उपहार में दी गयी वस्तु की कीमत की माँग नहीं करेंगे। यदि ऐसा पाया गया कि कम्पनी द्वारा दी गयी स्कीम/उपहार विद्यालय को नहीं दिया गया है तो कुल स्कीम की कीमत के अतिरिक्त वित्तीय दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।
 20. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद कन्नौज होगा।
 21. भारत सरकार/उ०प्र० सरकार के द्वारा निर्धारित आयकर एवं अपेक्षित अन्य राजकीय करों की कटौती आपूर्ति कर्ता के बिलों से की जायेगी जिनको कि फर्म द्वारा माना जाना अनिवार्य होगा।
 22. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित करने हेतु कार्यवाही करें।
 23. निविदा प्रपत्र अहस्तान्तरणीय होगा।
 24. सी.सी.टी.वी. आपूर्ति तथा उनको निर्धारित स्थल पर लगाए जाने हेतु निविदा दरें आमंत्रित की जा रही हैं। फर्म द्वारा अपनी निविदा दरें देने हेतु रू० 2000/- का ड्राफ्ट जो कि प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय अनौगी, कन्नौज के पक्ष में देय हो अर्नेस्ट मनी के रूप में निविदा के साथ संलग्न करना होगा। विद्यालय आवश्यकतानुसार कुल कैमरे एवं संबंधित उपकरणों हेतु स्वीकृत दरों पर फर्म को आपूर्ति आदेश तब ही निर्गत किया जाएगा जब कुल आपूर्ति आदेश की धनराशि का 10 प्रतिशत फर्म द्वारा विद्यालय में धरोहर राशि के रूप में जमा कर दिया जाएगा (इसमें अर्नेस्ट मनी रू० 2000/- समाहित कर ली जाएगी)।
- (ख) छात्र लेखन सामग्री से संबंधित नमूने वही होने चाहिए जो साइज, क्वालिटी, पेजो की संख्या निविदा प्रपत्र में माँगी गयी हो किसी प्रकार के कागज तथा अन्य प्रकार का नमूना लगाने मात्र से निविदा स्वीकृत नहीं होगी।
24. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
 1. आयकर विभाग द्वारा जारी वर्तमान आयकर प्रमाण पत्र।
 2. निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट।
 3. विद्यालय वेब साईट से डाउनलोड करने पर निविदा शुल्क रू० 500/- का ड्राफ्ट जो कि प्राचार्य जनवि-अनौगी, कन्नौज के पक्ष में देय अलग से संलग्न करना होगा।
 3. उपकरण, फर्नीचर आदि की आपूर्ति के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ मूल पत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।
 4. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।
 5. जहाँ लागू हो टिन(वैट/बिक्री कर रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र की प्रति)।
 6. फर्म का पैन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति
 25. मदवार वांछित धरोहर राशि प्रति निविदा दर प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने का विवरण :-
 1. मिठाई/.....2,000/-
 2. विद्यार्थियों के बाल कटाई..... 500/-
 3. फर्नीचर..... 10,000/-
 4. सी.सी.टी.वी. कैमरा..... 2000/-
 5. आर०ओ० सिस्टम ए०एम०सी०.....2000/.

प्राचार्या
जवाहर नवोदय विद्यालय
अनौगी, कन्नौज।

उर्पयुक्त लिखित कम सं0 01 से 25 तक के निविदा नियम एवं शर्तों का मैंने अक्षरा: अध्यन कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिया है हमारी फर्म पूर्णतया सहमत है यदि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो हमारी धरोहर राशि जब्त करते हुए हमारी निविदा निरस्त की जा सकती है:-

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर ,

फर्म की मुहर:

पूरा पता मय पिनकोड एवं मोबाइल
एवं फिक्सड लाईन नम्बर:

स्थान :

फर्म को जानने वाले एक प्रतिष्ठित
व्यक्ति/फर्म का गवाह के रूप में हस्ताक्षर:
(नाम पता एवं मोबाईल नं0 सहित).....

.....
.....
.....
.....

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA KHAIRABAD SITAPUR U.P.

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONGWITH TENDER FORM

CHECKLIST

Sl. No.	Particulars	Whether enclosed (Yes/ No)
01.	Cost of Tender Form Deposited or Not	
02.	Tender Form with dully filled rate list	
03.	Duly signed terms & conditions self and witness	
04.	Copy of Income Tax Return	
05.	Copy of Valid Registration Certificate of the firm	
06.	Copy of TIN Number Certificate	
07.	Copy of PAN Card	
08.	Sample of all Items those rates given in Tender From	
09.	Demand Draft for Rs..... Given in the form of Security Money/Earnest Money.	
10	If Tender form download from vidyalaya Website (www.jnvkannauj.org) a Demand Draft of Rs.500 seperately attached as tender form fee.	
11	If any other(s) required documents/information is needed as per Tender document has been attached.	

Signature of Tendere with Seal